



प्रेस नोट थाना नारखी दिनांक 12-01-2026 जनपद फिरोजाबाद।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशन में एसओजी / सर्विलांस, थाना नारखी, थाना पचोखरा व थाना रामगढ़ पुलिस टीम द्वारा दिनांक 11-01-2026 को थाना नारखी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जारखी में अवैध सम्बन्धों में जघन्य तरीके से गला काटकर हत्या की घटना का 24 घंटे के अन्दर सफल अनवारण करते हुए दो अभियुक्तों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान किया गया।

गिरफ्तार साथ ही सहअभियुक्ता (मृतक की पत्नी) भी गिरफ्तार।

- पुलिस मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त सूरज पैर में गोली लगने से हुआ घायल.....
- दोनों अभियुक्तों सूरज व सलमान को आलाकत्तल छुरी, मृतक सौरभ का मोबाइल, मोटरसाइकिल तथा दो तमंचा 315 बोर मय जिन्दा खोखा कारतूस सहित किया गया गिरफ्तार।
- दोनों अभियुक्तगण की निशांदेही पर मृतक सौरभ का कटा हुआ सिर बोरवेल से किया गया बरामद
- मृतक सौरभ की पत्नी (सहअभियुक्ता) व गिरफ्तार अभियुक्त सूरज के मध्य प्रेम प्रसंग (अवैध सम्बन्धों) के चलते सौरभ की की गयी थी हत्या.....
- मृतक की पत्नी, प्रेमी सूरज व एक अन्य अभियुक्त सलमान तीनों ने मिलकर सौरभ की की थी हत्या.....
- मृतक की पत्नी को भी किया गया गिरफ्तार, तीनों ने मिलकर जघन्य घटना को दिया था अंजाम.....
- घायल अभियुक्त सूरज को उपचार हेतु जिला अस्पताल भिजवाया गया।
- दिनांक 11-01-2026 को थाना नारखी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जाखई में पूर्व ग्राम प्रधान जयवीर सिंह के ट्रूबैल पर एक व्यक्ति का सिर कटा शव (धड़) मिला था जिसकी पहचान सौरभ के रूप में हुई थी जिसके सम्बन्ध में थाना नारखी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।
- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित द्वारा घटनास्थल का भौतिक निरीक्षण करते हुए घटना के खुलासे हेतु एसओजी / सर्विलांस सहित कुल 04 पुलिस टीमों का गठन किया गया था।

दिनांक 11-01-2026 को ग्राम जाखई थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद स्थित पूर्व ग्राम प्रधान जयवीर सिंह के ट्यूबैल पर एक व्यक्ति के शव मिलने की सूचना पर तत्काल उच्चाधिकारीगण पुलिस टीम के मौके पर पहुँचे। शव की पहचान सौरभ उम्र करीब 26 वर्ष पुत्र भोजराज निवासी ग्राम गदुरी थाना निधौली कलां जनपद एटा हाल पता लक्ष्मीनगर, ककरऊ कोठी थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद के रूप में हुई जिसकी जघन्य तरीके से गला काटकर हत्या की गयी थी। मृतक के सम्बन्ध में परिजनों द्वारा दिनांक 10-01-2026 को थाना उत्तर पर गुमशुदगी भी दर्ज करायी गयी थी।

मृतक के भाई की तहरीर के आधार पर थाना नारखी पर दिनांक 11-01-2026 को मु0अ0सं0 17/2026 धारा 103(1),238 बीएनएस पंजीकृत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित द्वारा मामले के खुलासे हेतु अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी टूण्डला के नेतृत्व में एसओजी / सर्विलांस सहित कुल 04 पुलिस टीमों का गठन किया गया।

गठित 04 पुलिस टीमों द्वारा ठोस साक्ष्य संकलन के आधार पर आज दिनांक 12-01-2026 को मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों 1.सूरज पुत्र देवेन्द्र पाल निवासी ग्राम जाखई थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद उम्र 28 वर्ष व 2-सलमान पुत्र इकबाल निवासी ग्राम जाखई थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद उम्र 19 वर्ष को पुलिस मुठभेड़ के दौरान ग्राम नगला कूम के पास से गिरफ्तार किया गया है। दोनों अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया जिसमें मुठभेड़ के दौरान अभियुक्त सूरज पैर में दो गोली लगने से घायल हो गया। अभियुक्तगण के कब्जे से आलाक्तल छुरी, मृतक सौरभ का मोबाइल, मोटरसाईकिल व दो तमंचा 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तगण की निशांदेही पर मृतक सौरभ का कटा हुआ सिर बोरवेल से बरामद किया गया है। घाल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। घटना में शामिल मृतक की पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया है। मृतक सौरभ की पत्नी व सूरज के मध्य प्रेमप्रसंग था जिसमें दोनों ने मिलकर अपने अन्य सहयोगी सलमान के साथ मिलकर सौरभ की हत्या कर दी गयी। तीनों को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ में पता चला है कि मृतक सौरभ की हत्या दिनांक 09-01-2026 की सांय थाना नारखी के ग्राम जारखी में पूर्व प्रधान जयवीर के ट्यूबैल पर कर दी गयी थी एवं मृतक का गला काटकर सिर को बोरिंग में फेंक दिया गया था। मृतक सौरभ की पत्नी (सहअभियुक्ता) व मुठभेड़ में गिरफ्तार अभियुक्त सूरज के मध्य अवैध सम्बन्ध थे जिसमें मृतक सौरभ आडे आ रहा था। मृतक की पत्नी व प्रेमी सूरज द्वारा अपने अन्य सहयोगी सलमान के साथ मिलकर सौरभ की हत्या कर दी गयी। तीनों को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

- 1.सूरज पुत्र देवेन्द्र पाल निवासी ग्राम जाखई थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद उम्र 28 वर्ष।
- 2.सलमान पुत्र इकबाल निवासी ग्राम जाखई थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद उम्र 19 वर्ष।
- 3-मृतक सौरभ की पत्नी कल्पना (काल्पनिक नाम)।

पंजीकृत अभियोग / आपराधिक इतिहास:-

- 1- मु0अ0स0- 17/2026 धारा -103(1)/238 बीएनएस व बढौत्तरी धारा 61(2)बीएनएस व 4/25 आयुद्ध अधिनियम थाना नारखी फिरोजाबाद
- 2.मु0अ0सं0 19/2026 धारा 109(1) बीएनएस (पु0मु0) व 3/25/27 व 9/25 आयुद्ध अधिनियम थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री राकेश कुमार गिरी थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद
2. थानाध्यक्ष श्री अमित तोमर थाना पचोखरा जनपद फिरोजाबाद ।
3. श्री प्रेमशंकर पाण्डेय प्रभारी SOG जनपद फिरोजाबाद मय टीम ।
4. प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव दुबे थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद ।
5. उ0नि0 अभिषेक गुप्ता थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद ।
6. उ0नि0 आकाश कुमार थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद ।
7. मुख्य आरक्षी 737 राजकुमार थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद ।